

दिनांक:- 10.08.19.

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल सीतामढ़ी।

हस्ता में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बेलसंड।

विषय:- शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल बेलसंड के अधीन Remaining work of Ratan Jha Bahrapur, तक पथ निर्माण कार्य Tender ID- 76844 निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।
प्रसंग:- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना बिहार का पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY 357/2012(Part-VI)-4258 अनु० दिनांक:-06.08.2019

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लोक निर्माण संहिता के कंडिका-163 के आलोक में इस कार्य में न्यूनतम दर निविदाकार संवेदक श्री M/S SULABH INFRASTRUCTURE PVT. LTD. , BID:-349733 को उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र (राशि:-48017576.00) से (-) 0.51 प्रतिशत कम पर अर्थात् कुल राशि 47772686.00(Four Crore seventy seven lakh seventy two thousand six hundred eighty six) रुपया मात्र की लागत पर कार्य हित में आवंटित किया जाता है।

2. इस कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करना है।
3. सभी बांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जॉचोपरान्त यथाशीघ्र एकरारनामा कर लेंगे अन्यथा निविदा की वैधता समाप्त की जा सकती है।
4. आपूर्ति लेने वाले समाग्रियों की गुणवत्ता की आवश्यक जॉच कराकर एवं जॉचफल से संतुष्ट होकर ही कार्य में व्यवहार करेंगे।
5. एकरारित राशि स्वीकृत परिमाण विपत्र के आधार पर निविदित दर के अनुसार करना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही करायें।
7. किसी भी परिस्थिति में एकरारनामा से अधिक का कार्य नहीं करायेगें जो उपलब्ध आवंटन पर आधारित होगा एवं दायित्व का सृजन नहीं करेंगे।
8. प्रासंगाधीन पत्र के द्वारा प्राप्त सभी निविदा कागजात मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस किया जाता है।
9. अनुमोदित किये गए तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु जॉच कर अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने पर दस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें। त्रुटी के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्यवाई करेंगे।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इसमें कोई त्रुटी न हो।
11. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।
12. संवेदक द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन०एस०सी०/पास बुक आदि को सत्यापन संबंधित डाक घर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेख किया जायेगा कार्यपालक अभियंता कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13. नियमानुसार विपत्र में आयकर/विक्रीकर/रॉयल्टी एवं शेष इत्यादि की कटौती कर लेंगे।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल सीतामढ़ी।